



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227460
CG-DL-E-10062021-227460

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2080]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 10, 2021/ज्येष्ठ 20, 1943

No. 2080]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 10, 2021/JYAISTHA 20, 1943

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2021

का.आ. 2240(अ).—भारत पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 (1992 का 34) के खंड 3, उपखंड(1) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्य के रूप में डा. एमी याज्ञनिक, संसद सदस्य, राज्य सभा को नियुक्त करती है तथा इस उद्देश्य से आगे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग संख्या का.आ. 1102(अ) दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (25) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(25) डॉ अमी याज्ञिक, - सदस्य ”

संसद सदस्य (राज्य सभा),

फ्लैट संख्या: 7, मीना बाग, नई दिल्ली-110011

2. यह सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

[फा.सं. एस -2906/5/2020-आरसीआई]

डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1102 (अ) के जरिए जारी की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या: का.आ. 3609 (अ) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2021

S.O. 2240(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the Central Government hereby appoints Dr. Ameer Yajnik, Member of Parliament (Rajya Sabha), as Member in the Rehabilitation Council of India and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, number S.O. 1102(E), dated the 21st October, 2002, namely :-

In the said notification for serial number (25) and the entry relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(25) Dr. Ameer Yajnik, -Member”
Member of Parliament (Rajya Sabha),
Flat No. 7, Meena Bagh,
New Delhi-110011

2. It shall come into effect from the date of its notification in the Official Gazette.

[F.No. S-2906/5/2020-RCI]

Dr. PRABODH SETH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was issued vide notification number S.O. 1102(E), dated 21st October, 2002 and last amended vide notification number S.O. 3609(E), dated 14th October, 2020.